न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 302 /2022

उनवान

1–2 शिवानी, हनी पुत्री ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामलाल पिता खाना खारोल निवासी गिरड़िया
2– भंवरलाल पिता रामदयाल कलाल निवासी गिरड़िया
3– गोविन्द पिता सुवालाल कलाल निवासी गिरड़िया
4– रामपाल सिंह पुत्र बृजराज सिंह चारण निवासी गिरड़िया
5– कन्हैयालाल पिता मांगीलाल दरोगा निवासी गिरड़िया
6– आवड़दान पिता दुर्गादान चारण निवासी गिरड़िया
7– सूर्यप्रताप सिंह पिता बृजराज सिंह निवासी गिरड़िया
8– महावीर पिता लक्ष्मण खारोल निवासी गिरड़िया
9– गोपी पिता बालू खारोल निवासी गिरड़िया
10– मु. डाली पत्नी हीरा खारोल निवासी गिरड़िया
11– निर्मलराम चेला दुर्लभराम निवासी गिरड़िया
12– मु. सीता देवी पत्नी रामस्वरूप सुवालका निवासी गिरड़िया
13– श्रवण पिता देबी दरोगा निवासी गिरड़िया
14– नारायण पिता देबी दरोगा निवासी गिरड़िया
15– रामपाल पिता लादूलाल कलाल निवासी गिरड़िया
16– महावीर पिता हरदेव दरोगा निवासी गिरड़िया
17– रामा पिता सोचन्द खारोल निवासी गिरड़िया

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री त्रिलोक चंद नौलखा**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **19.09.2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 11 रकबा 0.60 है0, 240 रकबा 5.75 है0, 35 रकबा 1.27** है0, **351 रकबा 0.30 है0, 353 रकबा 0.03 है0, 354 रकबा 1.36 है0, 356 रकबा 1.09 है0, 367 रकबा 2.03** है0, 49 **रकबा 0.70 है0, 50 रकबा 0.72 है0, 52 रकबा 0.06 है0** कुल **किता 11** रकबा **13.91** हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी **काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 **1, 3 से 5, 7 लगायत 10, 14 लगायत 17** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण **सं0 2, 6, 11, 12, 13** के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थीगण** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **गिरड़िया** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 52 रकबा 0.06 है0 है0 की किस्म गेमु पाल होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 10 रकबा 13.85 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 2000/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा